साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
तार : साहित्यकार, दूरभाष : 2338 6626-28
फैक्स : 091-11-2338 2428

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001
Gram : Sahityakar, Phone : 2338 6626-28
Fax : 091-11-2338 2428
E-mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in
website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

सआ.37/प्रशासन 10 जनवरी, 2017

निविदा सूचना

विषयः 21.02.2017 से 26.02.2017 तक रवींद्र भवन लॉन, 35 फ़िरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु।

उपरोक्त विषय में जारी निविदा को जमा करवाने की अंतिम तिथि 14 जनवरी, 2017, सांय 5 बजे तक बढ़ा दी गई है।

sd/-
(रेणु मोहन भान)
उप-सचिव (प्रशासन)

साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : +91-11-2338 6626-28
फैक्स : +91-11-2338 2428
ई-मेल : secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाईट : http://www.sahitya-akademi.gov.in

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001
Phone : +91-11-2338 6626-28
Fax : +91-11-2338 2428
E-mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in
website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

सआ.37/प्रशासन   02 जनवरी, 2017

निविदा सूचना

विषयः 21.02.2017 से 26.02.2017 तक रवींद्र भवन लॉन, 35 फ़िरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु।

उपरोक्त विषय में जारी निविदा को जमा करवाने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, 2017, सांय 5 बजे तक बढ़ा दी गई है।

sd/-
(रेणु मोहन भान)
उप-सचिव (प्रशासन)

साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : +91-11-2338 6626-28
फैक्स : +91-11-2338 2428
ई-मेल : secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाईट : http://www.sahitya-akademi.gov.in

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001
Phone : +91-11-2338 6626-28
Fax : +91-11-2338 2428
E-mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in
website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

सआ.37/प्रशासन 22 दिसंबर, 2016

निविदा सूचना

विषयः 21.02.2017 से 26.02.2017 तक रवींद्र भवन लॉन, 35 फ़िरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु।

उपरोक्त विषय में जारी निविदा को जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016, सांय 5 बजे तक बढ़ा दी गई है।

sd/-
(रेणु मोहन भान)
उप-सचिव (प्रशासन)

साहित्य अकादेमी
रवींद्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग
नई दिल्ली 110001
ई–मेल : secretary@sahitya-akademi.gov.in
वेबसाइट: www.sahitya-akademi.gov.in

दिनांक : 7 दिसंबर 2016

निविदा सूचना

21.02.2017 से 26.02.2017 तक रवींद्र भवन लॉन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110001 में आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान साहित्य अकादेमी को ऐसी व्यावसायिक एजेंसी की सेवाओं की आवश्यकता है, जिसका कुल औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान 4 करोड़ अथवा उससे अधिक हो तथा साहित्यिक उत्सवों, प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रम आदि तथा अन्य इसी प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्सवों की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण का अनुभव हो।

साहित्योत्सव 2017 की अवधारणा परिचय में दी गई है।

निविदा शुल्क 500/- (पाँच सौ रुपए मात्र) तथा निविदा के लिए बयाना राशि 50,000/ (पचास हज़ार रुपए मात्र) सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करने होंगे।

कार्यक्रम का कोई भी शुद्धिपत्र वेबसाइट www.sahitya-akademi.gov.in पर जारी होगा।

निविदा दस्तावेज़ मोहरबंद लिफ़ाफ़े में सचिव, साहित्य अकादेमी, रवींद्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110001 के पते पर 21 दिसंबर 2016, सायं 5:00 बज़े तक जमा किए जा सकते हैं।

(रेणु मोहन भान)
उपसचिव (प्रशासन)
दूरभाष : 011–23386626

<u>साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु निविदा कार्यक्रम 21.02.2017 से 26.02.2017</u>

जारी करने की तिथि	7 दिसंबर 2016
बोली–पूर्व बैठक की तिथि	पूर्वाह्न 11.00 बजे, 9 दिसंबर 2016, तृतीय तल स्थित सभाकक्ष, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली।
जमा करने की अंतिम तिथि	सायं 5:00 बजे तक, 21 दिसंबर 2016
खुलने की तिथि	पूर्वाह्न 11.00 बजे, 26 दिसंबर 2016 तृतीय तल स्थित सभाकक्ष, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली।

साहित्य अकादेमी
नई दिल्ली
निविदा आमंत्रण सूचना

विषय : 21.02.2017 से 26.02.2017 तक रवींद्र भवन लॉन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110001 में आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु।

परिचय

1. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान साहित्य अकादेमी को ऐसी व्यावसायिक एजेंसी की सेवाओं की आवश्यकता है, जिसका कुल औसत वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान 4 करोड़ अथवा उससे अधिक हो तथा साहित्यिक उत्सवों, प्रदर्शनियों तथा कार्यक्रम आदि तथा अन्य इसी प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्सवों की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण का अनुभव हो।

2. **कार्यक्षेत्र**

2.1 **साहित्योत्सव 2017** के आयोजन स्थल की अभिकल्पना, रूपायन एवं निर्माण तथा अन्य संबंधित आनुषंगिक सेवाएँ प्रदान करना।

2.2 **साहित्योत्सव 2017** का मुख्य आकर्षण पिछले एक वर्ष के दौरान साहित्य अकादेमी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की फ़ोटो प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी आदि, पुरस्कार अर्पण समारोह स्थल की फूलों से सज़ावट तथा पुरस्कार प्राप्त लेखकों की चित्र गैलरी।

कार्यक्रम	**आयोजन स्थल**
स्वागत क्षेत्र की सज्जा	रवींद्र भवन लॉन
अकादेमी की प्रदर्शनी	रवींद्र भवन लॉन
(i) साहित्य अकादेमी प्रदर्शनी 2016 (ii) साहित्य अकादेमी प्रकाशन (iii) पत्रिकाएँ (आईएल, एसबीएस, संस्कृत प्रतिभा) (iv) पुस्तकालय की पुस्तकें	रवींद्र भवन लॉन
साहित्य अकादेमी पुरस्कार अर्पण	कमानी सभागार
लेखक से भेंट	रवींद्र भवन लॉन
संवत्सर व्याख्यान	रवींद्र भवन लॉन
आमने–सामने कार्यक्रम	रवींद्र भवन लॉन
युवा लेखक सम्मिलन	रवींद्र भवन लॉन
उत्तर–पूर्व एवं उत्तरी लेखक सम्मिलन	रवींद्र भवन लॉन
आओ कहानी बुनें (बाल साहित्य पर कार्यक्रम)	रवींद्र भवन लॉन
राष्ट्रीय संगोष्ठी	साहित्य अकादेमी सभागार, प्रथम तल
सांस्कृतिक कार्यक्रम (संध्या)	रवींद्र भवन लॉन

विशिष्ट तथा आनुषंगिक आवश्यकता

3.3.1

1. 100 मिमी की कालीन वाली वुडेन फ्लोरिंग के साथ वॉटर प्रूफ एल्यूमीनियम पंडाल, जो अग्निरोधक एवं इतना मजबूत हो कि तेज हवा और बारिश के दबाव को झेल सके।
2. पिछले वर्ष आयोजित 250 कार्यक्रमों/गतिविधियों की फ़ोटो प्रदर्शनी।
3. आयोजन स्थल पर साहित्य अकादेमी की पत्रिकाओं, पुस्तकालय की पुस्तकें, अकादेमी प्रकाशन आदि के 3000 से अधिक पुस्तकों से संबंधित डिज़ाइन, डिस्प्ले तथा प्रदर्शनी।
4. 100–150 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था।
5. आयोजन स्थल पर लाउंज का निर्माण तथा सोफा सेट की व्यवस्था आदि।
6. पंडाल में सामान्य तथा विशिष्ट वर्ग के लिए अलग–अलग फूड कोर्ट का निर्माण।
7. रवींद्र भवन के प्रथम तल स्थित सभागार के बाहर एवं प्रदर्शनी हॉल के अंदर प्लाज़्मा टीवी लगाना।
8. विभिन्न प्रदर्श, स्टेज एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर उचित प्रकाश व्यवस्था।
9. पंडाल की संरचना में बिना गुथा हुआ कालीन बिछाना।
10. सभी साथ–साथ होनेवाले सभी कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग़, वीडियोग्राफ़ी एवं फ़ोटोग्राफ़ी की व्यवस्था।
11. ब्रांडेड माइक्रोफ़ोन, कोर्डलेस माइक आदि से युक्त पीए सिस्टम।
12. सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम के लिए प्रकाश एवं ध्वनि की व्यवस्था।
13. एलईडी लाइट से रवींद्र भवन की सजावट।
14. स्वच्छ भारत अभियान के लोगो से युक्त बड़े आकार का कूड़ेदान।
15. आवाज़रहित 125 किलोवाट का जेनरेटर।
16. सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था।
17. आयोजन स्थल की साफ़–सफ़ाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था।
18. **साहित्योत्सव 2017** के दौरान बैठक व्यवस्था परिर्वतन आदि के लिए उपयुक्त कर्मियों की व्यवस्था।
19. कार्यालयीन समय के बाद आयोजित कार्यक्रमों के समापन का प्रावधान।
20. कमानी सभागार के मंच की फूलों द्वारा सजावट।
21. **साहित्योत्सव 2017** के दौरान किसी भी समय कार्य से संबंधी व्यवस्थागत आदेश पालन की तैयारी।

3.3.2

साहित्योत्सव 2017 का मुख्य आकर्षण फ़ोटो प्रदर्शनी, पुरस्कार अर्पण समारोह, पुस्तक प्रर्दशनी, पुरस्कार प्राप्त लेखकों की गैलरी आदि हैं। अतः इसे किस प्रकार यूएसपी डिज़ाइन से नवीन रूप में दिखाया जाए, इसके लिए उच्चतम प्रयासों की आवश्यकता होगी।

3.3.3

साहित्योत्सव **2017** का आयोजन स्थल इस प्रकार होना चाहिए :

- प्रवेश द्वार पर स्वागतकक्ष प्रमुखता से नज़र आए।
- परिचर्चा तथा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंडप में एक ऊँचा मंच बनाया जा सकता है।
- कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था।
- विभिन्न भावों पर केंद्रित विमर्श के लिए अच्छा बैकड्रॉप।
- प्रदर्शित फ़ोटोग्राफ़, पुस्तकों आदि के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था।

- जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ निर्देश पट्टिकाओं की व्यवस्था।
- कार्यक्रम स्थल पर साहित्य अकादेमी की विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 3000 पुस्तकों के प्रदर्शन की व्यवस्था।

3.3.4 कार्यक्षेत्र में **साहित्योत्सव 2017** के आयोजन स्थल का समय रहते निर्माण के अतिरिक्त दैनिक सफाई/ झाड़ू आयोजन के दौरान 24 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था कार्यक्रम समाप्ति के 24 घंटे भीतर पंडाल का विच्छेदन जैसे कार्य भी शामिल हैं। लॉन को सही हालत में सौंपना आवश्यक है, जैसे कि कार्यक्रम के पहले दिया गया था।

3.3.5 कार्यक्षेत्र में मंडप को हरीतिमा युक्त बनाने के लिए पौधों की व्यवस्था के साथ आवश्यकतानुसार बिजली व्यवस्था शामिल है।

4. निविदा प्रस्तुति :

दो मुहर बंद लिफ़ाफ़ों में निविदा को जमा किया जाना चाहिए : **तकनीकी बोली** (लिफाफा–1) तथा **वित्तीय बोली** (लिफ़ाफ़ा–2)

4.1 तकनीकी बोली (लिफ़ाफ़ा–1) में निम्नलिखित दस्तावेज़ सम्मिलित होंगे।

(i) निविदाकर्ता का विवरण
  - (क) एजेंसी/कंपनी की प्रोफ़ाइल।
  - (ख) प्रतिष्ठान में उपलब्ध तकनीकी श्रम शक्ति तथा स्टाफ़ का ब्यौरा।
  - (ग) समान प्रकार के आयोजनों की सार–सँभाल/प्रबंधन संबंधी पिछले कार्य–निष्पादनों का ब्यौरा।
  - (घ) समान प्रकार के आयोजनों (साहित्यिक कार्यक्रम) को सँभालने का विशिष्ट अनुभव।
  - (ङ) उपर्युक्त सभी के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने ज़रूरी हैं।

(ii) तकनीकी बोली के साथ स्व–घोषण भी संलग्न की जानी चाहिए, कि निविदाकर्ता भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/ विभाग/ प्राधिकारी/ संस्था/ एजेंसी आदि द्वारा कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(iii) सांविधिक लेखा परीक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित विगत 3 वित्तीय वर्षों 2013–14 2014–15 तथा 2015–16 के वित्तीय लेखा–जोखा, जिसमें कंपनी का कुल टर्न ओवर दर्शाया गया हो।

(iv) अद्यतन आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र /आईटीआर तथा पैन की प्रति।

(v) निविदा शुल्क के रूप में सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय **500/– रुपए (पाँच सौ रुपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए।

(vi) **तकनीकी बोली** के साथ **50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए मात्र)** की **ईएमडी** सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अवश्य संलग्न हो। निविदाकर्ता को ईएमडी की राशि निविदा वैधता की समाप्ति के बाद तथा काम सौंपे जाने के 30वें दिन अथवा उससे पहले यथाशीघ्र लौटा दी जाएगी।

4.2 **वित्तीय बोली** (लिफ़ाफ़ा–II) में परियोजना का मूल्य होना चाहिए तथा उसमें 3.3.1 से 3.3.5 की समस्त मदों का मूल्य शामिल होना चाहिए।

4.2.1 ठेकेदारों को वित्तीय बोली पर आँकड़ों के साथ–साथ शब्दों में मूल्य एवं निविदा राशि को लिखना होगा। वित्तीय बोली में सेवा प्रभार, जिसका समयानुसार समुचित भुगतान किया जाएगा, को छोड़कर अन्य सभी करों, लेवी आदि का विवरण शामिल होना चाहिए। वित्तीय बोली में उल्लेखित मूल्य अनुसूची के अनुसार निविदा/स्वीकार्य मूल्य के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

4.3 निविदा सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा की जाए, जिसके ऊपर परियोजना का नाम ''**21.2.2017 से 26.2.2017 तक आयोजित होनेवाले साहित्योत्सव 2017 की अभिकल्पना, रूपायन तथा निर्माण हेतु निविदा**'' लिखा होना चाहिए तथा उसमें ''**तकनीकी बोली**'' (लिफ़ाफ़ा– I) तथा '**वित्तीय बोली**'' (लिफ़ाफ़ा–II) वाले लिफ़ाफ़े, जिनपर परियोजना के नाम उल्लिखित हो रखे होने चाहिए। सचिव, साहित्य अकादेमी, रवींद्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को संबोधित निविदा **21 दिसंबर 2016 तक सायं 5.00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।**

4.4 तकनीकी बोली को **26 दिसंबर 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** निविदाकर्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में साहित्य अकादेमी सभाकक्ष, तृतीय तल में खोला जाएगा। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा तकनीकी बोलियों की छँटनी की जाएगी। समिति एजेंसियों की कार्यदक्षता, कार्य की उत्कृष्टता, प्रोफ़ाइल तथा इस क्षेत्र में उनके कार्यानुभव का विश्लेषण करेगी। बोलीकर्ता को **26 दिसंबर 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे साहित्योत्सव 2017** पर अपनी पावर प्वॉइंट प्रस्तुति दिखानी होगी। मूल्यांकन पैरा में विनिर्दिष्ट के अनुसार पहले बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय बोलियाँ केवल उन्हीं की खोली जाएँगी, जो तकनीकी रूप से सही पाए गए होंगे। साहित्य अकादेमी के सचिव, जो इसके सक्षम प्राधिकारी हैं, का इस संदर्भ में लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। वित्तीय बोलियाँ भी उसी दिन खोली जाएँगी।

4.5 निविदा को साहित्य अकादेमी की वेबसाइट www.sahitya-akademi.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया की समय सारणी निम्न प्रकार है :–

क्रम सं.	निविदा सारणी	तिथि एवं समय
1.	निविदा जारी करने की तिथि	7 दिसंबर 2016
2.	बोली–पूर्व बैठक की तिथि	9 दिसंबर 2016
3.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	21 दिसंबर 2016
4.	अभिकल्पना/रूपायन की प्रस्तुति	26 दिसंबर 2016
5.	तकनीकी बोली खुलने की तिथि	26 दिसंबर 2016
6.	वित्तीय बोली खुलने की तिथि	26 दिसंबर 2016

5. **मूल्यांकन का मानदंड**

5.1 तकनीकी बोलियों एवं वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन पृथक्–पृथक् किया जाएगा।

– **तकनीकी बोली के लिए 80% वेटेज**
– **वित्तीय बोली के लिए 20% वेटेज**

5.2 प्रथमतः केवल उन्हीं की तकनीकी बोली पर विचार किया जाएगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में सक्षम होंगे तथा जिन्होंने पैरा 4 में माँगे गए दस्तावेज़ों को जमा किया होगा।

5.3 **तकनीकी मूल्यांकन के मानदंड निम्नलिखित हैं :–**

क्रम सं.	मानदंड	अंक
1.	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यों को करने का अनुभव तथा कंपनी की संगठन शक्ति।	**30 अंक**
2.	साहित्योत्सव 2017 के आयोजन की संपूर्ण परिकल्पना तथा रूपायन की प्रस्तुति उसकी हार्ड कॉपी के साथ जमा करनी होगी।	(क) अभिकल्पना एवं रूपायन : **30 अंक** (ख) स्थान का प्रभावी उपयोग : **10 अंक** (ग) फ़ोटो प्रदर्शनी, पुरस्कार समारोह आदि के आयोजन तथा पुस्तक प्रस्तुतीकरण की अभिनव अवधारणा : **10 अंक**
	परियोजना को सँभालने वाले व्यक्ति का अनुभव एवं दक्षता।	**20 अंक**

साहित्योत्सव 2017 की सज्जा आदि योजनाओं की उक्त परिकल्पना/रूपायन को **हार्ड कॉपी के साथ–साथ सी.डी. में भी जमा करना होगा।**

फ़ेज़ 1 – तकनीकी बोली

तकनीकी बोली में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 70 अंक होने चाहिए। तकनीकी बोलियाँ केवल उन्हीं की खोली जाएँगी, जो तकनीकी योग्यताओं को पूरा करते होंगे। जिन बोलीकर्ताओं ने न्यूनतम योग्यता अंक अर्जित कर लिए होंगे, उनकी रैंकिंग तकनीकी एवं सृजनात्मक बोली अंक (टीटीबीएम) के आधार पर की जाएगी तथा उन्हें ''तकनीकी रूप से योग्य बोली'' घोषित किया जाएगा। बोलीकर्ता के तकनीकी बोली अंक ''टी.एस.'' को निम्नानुसार समझा जा सकता है :–

टीएस = (टीटीबीएम / एचएम)
टीएस = (तकनीकी बोली अंक)
टीटीबीएम = (कुल तकनीकी बोली अंक)
एचएम = (समस्त मूल्यांकित बोलियों में से सर्वोच्च अंक)

फ़ेज़ II – वित्तीय बोली

वित्तीय बोली केवल ''तकनीकी रूप से योग्य बोलियों'' को ही खोलकर घोषित की जाएँगी तथा उनका निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

एफ़ एस = (एफ़एल / पी.क्यू.)
एफ़ एस = (वित्तीय अंक)
एफ़ एल = (न्यूनतम वित्तीय बोली)
पी.क्यू. = (उद्धृत मूल्य)

फ़ेज़ III – तकनीकी और वित्तीय बोलियों का संयुक्त मूल्यांकन

बोलीकर्ता के कुल अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे :

सी ई (सीईएस) = (80% x टीएस) (20% X एफ़एस)
सीईएस = संयुक्त मूल्यांकन अंक
टी एस = तकनीकी अंक
एफ़एस. = वित्तीय अंक

जिस बोलीकर्ता को सर्वोच्च मूल्यांकन अंक प्राप्त होंगे, उसे श्रेष्ठ बोलीकर्ता माना जाएगा तथा कार्य उसी को सौंपा जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में, जिस बोली को सर्वोच्च तकनीकी अंक (टी.एस.) प्राप्त हुए होंगे, को श्रेष्ठ बोली माना जाएगा। इन सबसे परे साहित्य अकादेमी के सचिव का निर्णय मान्य होगा।

6. **भुगतान की शर्तें :**

कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। संबंधित भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् उक्त कार्य के लिए गठित समिति के सत्यापन / अनुशंसा के पश्चात् ही बिल प्राप्त होने पर आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. द्वारा किया जाएगा।

7. **बोली–पूर्व बैठक**

निविदा से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु 9 दिसंबर 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, रवींद्र भवन, साहित्य अकादेमी सभाकक्ष, तृतीय तल पर एक बोली–पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। जो व्यक्ति निविदा जमा करने के इच्छुक हों, वे इस बोली–पूर्व बैठक में भाग ले सकते हैं।

8. **बयाना जमा**

संबंधित कार्य/अनुबंध सौंपे जाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निविदाकर्ताओं को प्रस्ताव वापस लेने अथवा उसकी नियम तथा शर्तों में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीकर्ता दरें देने के पश्चात् संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करता अथवा नहीं मानता अथवा पीछे हटता है, तो साहित्य अकादेमी बयाना राशि जब्त कर लेगी।

8.2 बयाना राशि के बिना प्राप्त बोलियों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8.3 साहित्य अकादेमी पर बयाना राशि के संदर्भ में उसके मूल्य–क्षरण को लेकर अथवा किसी प्रकार का ब्याज दिए जाने का दावा नहीं किया जा सकता।

9. **बोलियों की वैधता**

बोलियों (तकनीकी/वित्तीय) की वैधता निविदाओं के खुलने की तिथि से 60 दिनों तक होगी। अतः इस प्रकार का उल्लेख निविदाकर्ताओं को वित्तीय बोली में करना होगा।

10. **कार्य प्रतिभूति**

सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के 10 दिनों के भीतर कार्य/अनुबंध के मूल्य के 10 प्रतिशत की समकक्ष कार्य प्रतिभूति राशि सचिव, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। **50,000/– रुपए (पचास हज़ार रुपए मात्र)** की बयाना राशि सफल बोलीकर्ता की कार्य प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी। कार्य प्रतिभूति राशि साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर जब्त की जा सकती है, यदि किए गए अनुबंध का उल्लंघन अथवा उपेक्षा अथवा अनुबंध के किसी शर्त की अनदेखी अथवा अनुबंधित कार्य की असंतोषजनक प्रस्तुति पाई जाती है। अनुबंध की समाप्ति पर, साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त बयाना राशि फर्म को गलत अथवा अतिरिक्त भुगतान कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी किसी क्षतिपूर्ति के लिए तब तक रखी जाएगी, जब तक फर्म द्वारा दिए गए बिलों की सही जाँच कर समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती।

11. **सुपुर्दगी की अवधि तथा शर्तें**

ठेकेदार को आयोजन/कार्यस्थल 10 फ़रवरी 2017 से सौंप दिया जाएगा। संपूर्ण कार्य 19 फ़रवरी 2017 को मध्याह्न 12.00 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए तथा अकादेमी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

12. **दण्ड**

यदि कार्य निष्पादन में देरी होती है तो साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10,000/— रुपए प्रति घंटा के हिसाब से दंड लगाया जाएगा तथा दंड राशि को ठेकेदार को देय भुगतान राशि में से काटा जाएगा।

13. **सामान का भंडारण**

ठेकेदार उसे प्रदत्त आयोजन/कार्यस्थल के अतिरिक्त कार्यालय परिसर में किसी भी सामान का भंडारण नहीं करेगा।

14. **अप्रत्याशित घटना**

यदि इस अनुबंध के दौरान किसी भी समय किसी युद्ध अथवा विरोध, सामाजिक शत्रुओं के कार्यों, जन विद्रोह, तोड़—फोड़ की हरकत, आग, बाढ़, धमाके, महामारी, संगरोध निषेध, हड़ताल, तालाबंदी अथवा प्राकृतिक आपदा (इन्हें आगे घटना कहा जाएगा) के कारण किसी भी पार्टी द्वारा अनुबंधित कार्य—दायित्व संपूर्णतः अथवा अंशतः बाधित या देरी से होता है, तो इस प्रकार की घटना होने के 21 दिनों के भीतर एक पार्टी को दूसरी पार्टी को सूचना देनी होगी। इस प्रकार की घटना के आधार पर कोई भी पार्टी इस अनुबंध को न तो रद्द करेगी, न ही किसी दूसरी पार्टी पर नुकसान, कार्य न होने अथवा कार्य में देरी होने के संदर्भ में कोई दावा करेगी तथा बाद में सुपुर्दगी पूर्ववत रहेगी यानी उन्हें अंतिम एवं निर्णायक नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि इस अनुबंध के अंतर्गत संपूर्ण अथवा आंशिक कार्य को इस प्रकार की घटना के कारण 60 दिनों की अवधि से ज्यादा में रोका अथवा लंबित किया जाता है, तो दोनों में से कोई भी पार्टी इस अनुबंध को निरस्त कर सकती है।

14.2 यदि इस मद के अंतर्गत अनुबंध रद्द होता है, तो साहित्य अकादेमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित किए गए मूल्य पर, जो अंतिम होगा, आपूर्तिकर्ता से अप्रयुक्त अक्षतिग्रस्त तथा स्वीकार्य सामग्रियाँ, अनुबंध रद्द होने के समय ठेकेदार के कब्जे में निर्माण के दौरान खरीदी गई वस्तुएँ तथा संगृहीत वस्तुएँ अपने कब्जे में ले ले अथवा साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी खरीदी गई वस्तुओं और भंडार के अलावा जिन्हें उपयुक्त मानते हैं, ठेकेदार साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति से उन्हें प्राप्त कर सकता है।

15. **दिवालियापन आदि**

फर्म के दिवालिया घोषित होने अथवा कोर्ट द्वारा नियुक्त अभिग्राही अथवा उनके विरुद्ध दिवालियापन धारा के अंतर्गत किसी आदेश अथवा कंपनी द्वारा पारित किसी प्रस्ताव अथवा काम समेटने के किसी आदेश, चाहे वह स्वैच्छिक हो अथवा अन्यथा अथवा कंपनी किसी स्थिति में अपना कार्य पूरा न करने की स्थिति में हो, जैसाकि साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट किया हो तो उस स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें इस अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होगा।

16. **नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन**

उपर्युक्त किन्हीं भी नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताए दिए गए कार्यादेश को समाप्त करने का अधिकार होगा तथा उस स्थिति में साहित्य अकादेमी द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

17. **कार्य को किसी और से किराए पर कराना**

यह निविदा अहस्तांतरणीय है। फ़र्म अनुबंधित कार्य अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति अथवा पार्टी को नहीं दे सकती। एक निविदाकार द्वारा केवल एक ही निविदा जमा की जा सकती है।

18. **कार्य की स्थिति की सूचना जानने का अधिकार**

साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध दिए जाने के पश्चात् किसी भी समय कार्य की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।

19. **अभिगम्यता**

साहित्य अकादेमी का कोई भी प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों अथवा साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि को यथोचित समय पर दिए गए कार्यों को कार्यशालाओं, फैक्टरियों अथवा अन्य स्थानों जहाँ सामान तैयार हो रहा है तथा किसी अन्य स्थान पर जहाँ वस्तुएँ होंगी अथवा जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जाना है, में भी स्वतंत्र अभिगमन की अनुमति होगी तथा ठेकेदार को साहित्य अकादेमी अथवा निरीक्षण–परीक्षण की जानेवाली वस्तुओं एवं कारीगरों के कार्यों की परख के लिए आए उसके प्रतिनिधियों को सभी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। किसी भी अन्य व्यक्ति को साहित्य अकादेमी के सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उक्त स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

20. **कार्य समाप्ति पर कार्यस्थल की सफ़ाई**

समस्त कार्यक्रमों की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को कार्यस्थल से समस्त अतिरिक्त वस्तुओं, कूड़े तथा समस्त प्रकार के अस्थायी निर्मितियों की पूर्णतः सफाई करानी होगी तथा उस स्थान को पूरी तरह साफ़–सुथरा एवं साहित्य अकादेमी की संतुष्टि के अनुरूप बनाना होगा।

21. **अस्वीकार्य**

साहित्य अकादेमी के कर्मचारी तथा उनके संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों की व्याख्या इस प्रकार है :

(क) हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य।

(ख) उनके जीवनसाथी।

(ग) एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए जैसे – पिता, पुत्र (त्रों), पुत्रवधु, पुत्रियाँ एवं दामाद, भाई एवं भाइयों की पत्नी (याँ), बहनें तथा बहनों के पति।

22. **मध्यस्थता**

यदि इस अनुबंध संबंधी तथा भुगतान संबंधी विवेचना में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे आपसी विमर्श तथा समझौते द्वारा सुलझाया जाएगा। यदि समझौते के प्रयासों द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता, तो दोनों पार्टियों में से कोई एक विवाद के निर्णय हेतु एक सदस्यीय पंचायती अधिकरण, जिसकी नियुक्ति साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष करेंगे, के पास अपनी बात रख सकता है। इस प्रकार का अनुरोध उन तीन व्यक्तियों के नामों के पैनल के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जो व्यक्ति एकल न्यायकर्ता हो सकते हैं। यदि कोई न्यायकर्ता अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है अथवा वह कार्रवाई करने में सक्षम न हो अथवा कानूनी रूप से उसका आदेश देने का अधिकार रद्द हुआ हो, तो उस स्थिति में वादी द्वारा जमा किए गए तीन व्यक्तियों के नामों में से किसी अन्य न्यायकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता संबंधी कार्रवाई नई दिल्ली में होगी तथा वह अंग्रेज़ी में होगी। मध्यस्थता के प्रावधान तथा समझौता अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्धारित नियम इस प्रकार की कार्रवाई पर मान्य होंगे।

23. **कानूनी अधिकार क्षेत्र**

चूँकि अनुबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूरा किया जाना है तथा इसके समस्त दायित्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन आते हैं। अतः संबंधित मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधीन होंगे, न कि अन्य न्यायालयों के।

– समाप्त –